

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.219)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी- 1498

दिनांक : 15/3/2018

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 13.03.2018 का कार्यवाही विवरण


| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|--|-------------------|
| 1. | 219.1 | कार्यकारी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 16.02.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | कार्यकारी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 16.02.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया। | |
| 2. | 219.2 | जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना बक्सावाला में अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित आवासों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में नीतिगत निर्णय के क्रम में। | विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना बक्सावाला में अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित आवासों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में रूपए 1000/- नाम हस्तांतरण शुल्क तथा नियमों में दिए गए प्रावधानानुसार 10% लेवी ली जाकर नाम हस्तांतरण की कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। | उपायुक्त जोन-14 |
| 3. | 219.3 | आवास संख्या सी-474 योजना पालडीमीणा योजना के नियमितीकरण के सम्बन्ध में। | आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2 (30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक | उपायुक्त जोन-10 |

31

सचिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|---|-------------------|
| | | | <p>25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/ 2016-पार्ट/1516- 30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-474 योजना पालडीमीणा योजना की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।</p> | |
| 4. | 219.4 | आवास संख्या सी-254 योजना पालडीमीणा योजना के नियमितीकरण के सम्बन्ध में। | <p>आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2 (30)/नविवि/3/2016-पार्ट/दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/</p> | उपायुक्त जोन-10 |


सिनिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|--|---|
| | | | <p>2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/ 2016-पार्ट/ 1516- 30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-254 योजना पालडीमीणा योजना की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।</p> | |
| 5. | 219.5 | श्री मलकीयत सिंह पेंशनर द्वारा पत्नि श्रीमती मनजीत कौर के इलाज के 1,31,263/- के भुगतान की स्वीकृति के क्रम में। | <p>इस प्रकरण में भुगतान की कुल राशि रूपए 2.00 लाख से अधिक होने के कारण प्रकरण को निर्णय हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।</p> <p>विचार-विमर्श पश्चात श्री मलकीयत सिंह पेंशनर को उनकी पत्नि श्रीमती</p> |  |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | मनजीत कौर के इलाज में व्यय की गई राशि में से शेष भुगतान योग्य राशि रूप 1,31,263/- का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA) | | | | |
| 6. | 219.6 | प्राधिकरण स्ट्रेन्थ के नगर नियोजन संवर्ग के रिक्त पदों को नगर नियोजन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखानुसार प्राधिकरण स्ट्रेन्थ के नगर नियोजन संवर्ग के रिक्त पदों यथा वरिष्ठ नगर नियोजक (02 पद), उप नगर नियोजक (03 पद), सहायक नगर नियोजक (08 पद), नगर नियोजन सहायक (05 पद), वरिष्ठ प्रारूपकार (06 पद), अनुरेखक (02 पद) को नगर नियोजन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। | अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) |
| 7. | 219.7 | Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of sludge dewatering units (Centrifuge Building) for 10 MLD STP at Goner in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

32
सचिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|---|-----------------------------|
| | | | एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत गोनेर में स्थापित किये जा रहे 10 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु स्लज डिवाटरिंग यूनिट्स (सेन्द्रीफ्यूज बिल्डिंग) की आई.आई.टी. दिल्ली से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 8. | 219.8 | Approval of IIT Roorkee vetted Design Document (Data sheet, GAD, Performance Curve, Electrical Circuit diagram) for submersible pumps (RAS, SAS, Thickener recirculation, Filtrate, Plant water, raw sewage pumps) for 25 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | <p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बम्बाला में स्थापित किये जा रहे 25 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सबर्सिबल पम्पस (आर.ए.एस., एस.ए.एस., थिकनर रिसकुर्लेशन, फिल्टरेट, प्लांट वॉटर, रॉ-सीवेज पम्पस) के डिजाईन डॉक्यूमेंट (डाटा शीट, जी.ए.डी., परफोरमेंस कर्व, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम) की आई.आई.टी. रुडकी से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p> | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |


सचिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-----------------------------|
| 9. | 219.9 | Approval of IIT Roorkee vetted Design Document (Data sheet, GAD, Performance Curve, Electrical Circuit diagram) for submersible pumps (RAS, SAS, Thickener recirculation, Filtrate, Plant water, raw sewage pumps) for 10 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदनुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत गोनेर में स्थापित किये जा रहे 10 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सबर्सिबल पम्पस (आर.ए.एस., एस.ए.एस, थिकनर रिसकुर्लेशन, फिल्टरेट, प्लांट वॉटर, रॉ-सीवेज पम्पस) के डिजाईन डॉक्यूमेंट (डाटा शीट, जी.ए.डी., परफोरमेंस कर्व, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम) की आई.आई.टी. रुडकी से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 10. | 219.10 | Approval of IIT Delhi vetted structural design and drawings of electrical building at Ch. + 15.3 Km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |



| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|---|-----------------------------|
| | | | <p>एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत चैनेज 15.3 Km में स्थापित की जा रही इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग की आई.आई.टी. दिल्ली से वेटैड स्ट्रक्चरल डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p> | |
| 11. | 219.11 | Approval of valve details and GA drawings including valve tag number for all five STPs. in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | <p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे सभी एस.टी.पी. हेतु वॉल्व डिटेल्स एवं टैग नंबर सहित जी.ए. ड्राईग्स अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p> | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 12. | 219.12 | Approval of IIT Roorkee vetted Design Document (Data sheet, GAD, Performance Curve, Electrical Circuit diagram) for submersible pumps (RAS, SAS, Thickener recirculation, Filtrate, Plant water, raw | <p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के</p> | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|--|-----------------------|
| | | sewage pumps) for 100 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत रीको में स्थापित किये जा रहे 100 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सबर्सिबल पम्पस (आर.ए.एस., एस.ए.एस., थिकनर रिसकुर्लेशन, फिल्टरेट, प्लांट वॉटर, रॉ-सीवेज पम्पस) के डिजाईन डॉक्यूमेंट (डाटा शीट, जी.ए.डी., परफोरमेंस कर्व, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम) की आई.आई.टी. रुडकी से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 13. | 219.13 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित बगरु कलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 2345 से 2371, 2378 से 2381, 2378/8016, 2378/8017, 2800, 2801, 2809, 2879 से 2898, 2886/8018, 2886/8019, 2900, 2905 कुल किता 64 कुल रकबा 73.37 हैक्ट. भूमि का औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम बगरु कलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 2345 से 2371, 2378 से 2381, 2378/8016, 2378/8017, 2800, 2801, 2809, 2879 से 2898, 2886/8018, 2886/8019, 2900, 2905 कुल किता 64 कुल रकबा 73.37 हैक्ट. भूमि में से एच.पी.सी.एल. लाईन से प्रभावित क्षेत्रफल 3228.30 वर्गमीटर (0.32 हैक्ट.) को छोड़ते हुए शेष भूमि | परामर्शी (नगर नियोजन) |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | 73.04 हैक्ट. भूमि का औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 14. | 219.14 | Ratification of permission for proportionate payment of various work stages mentioned in the approved Billing Break-up in view of work progress achievement in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | द्रव्यवती नदी परियोजना में कार्य निष्पादन की प्रगति की दृष्टि से अनुमोदित बिलिंग ब्रेकअप के प्रत्येक माईल स्टोन के सम्पूर्ण कार्य पूरे होने से पूर्व आनुपातिक आधार पर भुगतान किये जाने की पूर्व में प्रदान सैद्धांतिक सहमति के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 15. | 219.15 | Confirmation of the decision taken in review meeting 10.11.2017 for permanent power connections at Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River) from JVVNL for STP's ISP, street lights, canal lights & other electrical installations in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा एजेण्डा में उल्लेखानुसार "Permanent power connections at Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River) from JVVNL for STP's ISP, street lights, canal lights & other electrical installations in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years." के सन्दर्भ में प्रोग्रेसिव रिव्यू कमेटी की बैठक दिनांक 10.11.2017 में लिए गए निर्णय तथा लिए गए निर्णय के क्रम में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 16. | 219.16 | Agenda regarding approval of deviation & Non- BSR extra items for the work of SITC of light & Sound system with AMC at Amar Jawanajyoti, Jaipur | विचार-विमर्श पश्चात 1.91% की अधिक अन्तिम Deviation की स्वीकृति एवं Non BSR extra items की राशि रूप | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | 23,15,650.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। | |
| 17. | 219.17 | Approval of IIT Roorkee vetted data sheet and GA Drawing of Gate For all five STPs in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे सभी एस.टी.पी. हेतु आई.आई.टी. रूडकी से वैटेड गेटस् की डाटा शीट एवं जी.ए. ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 18. | 219.18 | Approval of Revised design and drawing of Admin Building, Blower, MCC rooms at 100 MLD STP at RIICO in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |



| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|---|-----------------------------|
| | | | का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत रीको में स्थापित किये जा रहे 100 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु एडमिन बिल्डिंग, ब्लोअर, एमसीसी रुम्स की रिवाईज्ड डिजाईन एवं ड्राईग्स् के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 19. | 219.19 | Approval of IIT Roorkee vetted Design Document (Data sheet, GAD, Performance Curve) for submersible pumps (RAS, SAS, Thickener recirculation, Filtrate, Plant water, pumps, Raw sewage, Treated water) for 20 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बस्सी सीतारामपुरा में स्थापित किये जा रहे 20 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सबर्सिबल पम्पस (आर.ए.एस., एस.ए.एस, थिकनर रिसकुर्लेशन, फिल्टरेट, प्लांट वॉटर, रॉ-सीवेज पम्पस) के डिजाईन डॉक्यूमेंट (डाटा शीट, जी.ए.डी., परफोरमेंस कर्व, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम) की आई.आई. टी. रुडकी से वेटैड डिजाईन एवं ड्राईग्स् के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |



| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-----------------------------|
| 20. | 219.20 | Approval of DBR for fire firefighting & fire detection system, P&ID, Hydrant layout for 100 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत रीको में स्थापित किये जा रहे 100 एम.एल.डी. क्षमता के फॉयर फाईटिंग एवं फॉयर डिटेक्शन सिस्टम की डीबीआर एवं हाईड्रेंट लेआउट के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 21. | 219.21 | Approval of IIT Roorkee vetted intermediate pumping station Ch. 15.3 Km (Package 2) design and drawings in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

34

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|---|-----------------------------|
| | | | एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत चैनेज़ 15.3 Km में स्थापित किये जा रहे इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन की आई.आई.टी. रूडकी से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स् के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 22. | 219.22 | Approval of IIT Roorkee vatted data sheet and GA Drawing of Gate for all five STPs in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे सभी एस.टी.पी. हेतु आई.आई.टी. रूडकी से वेटैड गेटस् की डाटा शीट एवं जी.ए. ड्राईग्स् के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 23. | 219.23 | Approval of IIT Roorkee vetted Design Document (Data sheet, GAD, Performance Curve, Electrical Circuit drawings) for submersible pumps (RAS, SAS, Thickener recirculation, Filtrate, Plant water, raw sewage pumps) for 15 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

35
सचिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|---|-----------------------------|
| | | Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत देवरी में स्थापित किये जा रहे 15 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सबर्सिबल पम्पस (आर.ए.एस., एस.ए.एस, थिकनर रिसकुर्लेशन, फिल्टरेट, प्लांट वॉटर, रॉ-सीवेज पम्पस) के डिजाईन डॉक्यूमेंट (डाटा शीट, जी.ए.डी., परफोरमेंस कर्व, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायाग्राम) की आई.आई.टी. रूडकी से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 24. | 219.24 | Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of Admin Building of 10 MLD STP at Goner in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम.एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम.एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत गोनेर में स्थापित किये जा रहे 10 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु एडमिन बिल्डिंग | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

25

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-----------------------------|
| | | | की आई.आई.टी. दिल्ली से वैटेड डीजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | |
| 25. | 219.25 | Approval of IIT Roorkee vetted data sheet and drawings of sludge mixer for all STPs in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल.डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे सभी एस.टी.पी. हेतु स्लज मिक्सर की आई.आई.टी. रुडकी से वैटेड डाटा शीट एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 26. | 219.26 | Approval of drawings of small drain(<1 MLD, 1 to 2.5 MLD) for reach 3 to 6 in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्त्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत small drain(<1 MLD, 1 to 2.5 MLD) for reach 3 to 6 की ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी. द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|---|-----------------------------|
| 27. | 219.27 | Approval of design calculation & drawings for storm water drains box culverts A 3 (A4R) Ch 10.05 km, A5 (A5L1) Ch 11.505km, A5(A5L2) Ch 12.55km and A6(A6L) Ch 14.775 km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्त्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत calculation & drawings for storm water drains box culverts A 3 (A4R) Ch 10.05 km, A5 (A5L1) Ch 11.505km, A5(A5L2) Ch 12.55km and A6(A6L) Ch 14.775 km की ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी. द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 28. | 219.28 | Approval of Sewer network dam crossing details at Guller dam and Ramchandpura dam in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्त्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत Sewer network dam crossing details at Guller dam and Ramchandpura dam की ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी. द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |
| 29. | 219.29 | Approval of design and drawing of IC at Sushilpura bridge upstream (Ch. 15.240 Km) in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years. | विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्त्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत IC at Sushilpura bridge upstream (Ch. 15.240 Km) की ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी. द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय |

15
15

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-------------------|
| | | | परीक्षण किये जाने के उपरान्त तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। | |
| 30. | 219.30 | नागरिक उड्डयन विभाग के अ.शा. टीप प.5(8) नाविनि /2017/पार्ट जयपुर दिनांक 28.02.2018 के सन्दर्भ में ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर ई.पी. (बजरी मण्डी) में नीलाम भूखण्ड संख्या 1 के मांग पत्र के अनुसार राशि ब्याज एवं पेनल्टी के सम्बन्ध में। | <p>विचार-विमर्श में यह अवगत कराया गया कि क्रेता दिनांक 18.05.2016 को भूखण्ड नीलामी से क्रय करने पर किशतों की सुविधा चाहने पर संशोधित मांग पत्र दिनांक 05.07.2016 को जारी किया गया जिसके अनुसार प्रथम किशत दिनांक 29.08.2016 एवं द्वितीय किशत दिनांक 29.11.2016 को लेय थी।</p> <p>नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-III दिनांक 08.03.2018 द्वारा अवगत करवाया गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 को प्रत्याहारित कर लिया गया है। नगरीय विकास विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2018 द्वारा एयरपोर्ट परिसीमा में सुरक्षा की दृष्टि से भवन ऊँचाई के बारे में प्रदत्त दिशानिर्देशों में अब बजरी मण्डी का यह भूखण्ड प्रभावित नहीं होता है। अतः इस भूखण्ड की शेष राशि सम्बन्धित क्रेता से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 के उपरान्त जयपुर विकास</p> | निदेशक (वित्त) |

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|---|--|-------------------|
| | | | <p>प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित क्रेता से उपरोक्त भूखण्ड की शेष राशि किश्तों में जमा नहीं की गई थी एवं इस बारे में उन्हें लिखित में दिनांक 30.03.2017 को अवगत भी करवा दिया गया था। अतः दिनांक 24.01.2017 से पूर्व की अवधि हेतु क्रेता से शेष राशि पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जावे। परन्तु दिनांक 24.01.2017 के बाद क्रेता को शेष राशि जमा करवाये जाने पर, शेष राशि पर ब्याज का प्रभारित किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में जेडीए द्वारा स्वयं क्रेता से राशि नहीं ली गई थी।</p> <p>प्रकरण को राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (अरबन लैण्ड डिस्पॉजल) रूल्स 1974 के नियम 31 के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।</p> | |
| 31. | 219.31 | <p>नागरिक उड्डयन विभाग के अ.शा. टीप प.5(8) नाविनि /2017/पार्ट जयपुर दिनांक 28.02.2018 के सन्दर्भ में ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर ई.पी. (बजरी मण्डी) में नीलाम भूखण्ड संख्या 2 के मांग पत्र के अनुसार राशि ब्याज एवं पेनल्टी के सम्बन्ध में।</p> | <p>विचार-विमर्श में यह अवगत कराया गया कि क्रेता दिनांक 22.06.2016 को भूखण्ड नीलामी से क्रय करने पर किश्तों की सुविधा चाहने पर संशोधित मांग पत्र दिनांक 16.08.2016 को जारी किया गया जिसके अनुसार प्रथम किश्त दिनांक 03.10.2016 एवं द्वितीय किश्त दिनांक 03.01.2017 को लेय थी।</p> <p>नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-III दिनांक 08.03.2018 द्वारा अवगत करवाया गया</p> | निदेशक (वित्त) |

35
संलग्न,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|------|---|-------------------|
| | | | <p>है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 को प्रत्याहारित कर लिया गया है। नगरीय विकास विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2018 द्वारा एयरपोर्ट परिसीमा में सुरक्षा की दृष्टि से भवन ऊँचाई के बारे में प्रदत्त दिशानिर्देशों में अब बजरी मण्डी का यह भूखण्ड प्रभावित नहीं होता है। अतः इस भूखण्ड की शेष राशि सम्बन्धित क्रेता से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित क्रेता से उपरोक्त भूखण्ड की शेष राशि किश्तों में जमा नहीं की गई थी एवं इस बारे में उन्हें लिखित में दिनांक 30.03.2017 को अवगत भी करवा दिया गया था। अतः दिनांक 24.01.2017 से पूर्व की अवधि हेतु क्रेता से शेष राशि पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जावे। परन्तु दिनांक 24.01.2017 के बाद क्रेता को शेष राशि जमा करवाये जाने पर, शेष राशि पर ब्याज का प्रभारित किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में जेडीए द्वारा स्वयं क्रेता से राशि नहीं ली गई थी।</p> <p>प्रकरण को राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट</p> | |

35

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|--|--|-------------------|
| | | | (अरबन लैण्ड डिस्पॉजल) रूल्स 1974 के नियम 31 के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे। | |
| 32. | 219.32 | नागरिक उड्डयन विभाग के अ.शा. टीप प.5(8) नाविनि /2017/पार्ट जयपुर दिनांक 28.02.2018 के सन्दर्भ में ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर ई.पी. (बजरी मण्डी) में नीलाम भूखण्ड संख्या 3 के मांग पत्र के अनुसार राशि ब्याज एवं पेनल्टी के सम्बन्ध में। | विचार-विमर्श में यह अवगत कराया गया कि क्रेता दिनांक 25.07.2016 को भूखण्ड नीलामी से क्रय करने पर मांग पत्र दिनांक 01.08.2016 को जारी किया गया नियमानुसार राशि 30 दिवस में एवं 15 प्रतिशत ब्याज सहित 90 दिवस में जमा नहीं कराने पर नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण का प्रावधान है, जिसको ब्याज एवं पेनल्टी के साथ 2 वर्ष तक कार्यकारी समिति द्वारा नियमित किया जा सकता है। कार्यकारी समिति द्वारा प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.10(7)नविनि/3/2009 पार्ट-III दिनांक 08.03.2018 द्वारा अवगत करवाया गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 को प्रत्याहारित कर लिया गया है। नगरीय विकास विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2018 द्वारा एयरपोर्ट परिसीमा में सुरक्षा की दृष्टि से भवन ऊँचाई के बारे में प्रदत्त दिशानिर्देशों में अब बजरी मण्डी का यह भूखण्ड प्रभावित नहीं होता है। अतः इस भूखण्ड की शेष राशि सम्बन्धित क्रेता से प्राप्त की जा सकती है। | निदेशक (वित्त) |

32
सचिव,

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---------|----------------|------|---|-------------------|
| | | | <p>समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2017 के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित क्रेता से उपरोक्त भूखण्ड की शेष राशि जमा नहीं की गई थी एवं इस बारे में उन्हें लिखित में दिनांक 30.03.2017 को अवगत भी करवा दिया गया था। अतः भूखण्ड नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण को नियमित करते हुए दिनांक 24.01.2017 से पूर्व की अवधि हेतु क्रेता से शेष राशि पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जावे। परन्तु दिनांक 24.01.2017 के बाद क्रेता को शेष राशि जमा करवाये जाने पर, शेष राशि पर ब्याज का प्रभारित किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में जेडीए द्वारा स्वयं क्रेता से राशि नहीं ली गई थी।</p> <p>प्रकरण को राजस्थान इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट (अरबन लैण्ड डिस्पॉजल) रूल्स 1974 के नियम 31 के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।</p> | |


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 219वीं बैठक दिनांक 13.03.2018 को सांयकाल 5:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

| क्र. सं. | नाम सदस्य/अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | श्री वैभव गालरिया | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री ओ.पी. बुनकर | अति. आयुक्त (प्रशासन) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य सचिव |
| 3. | श्री एन.सी. माथुर | निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 4. | श्री एच. के जुनेजा | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 5. | श्री रमेश कुमार आर्य | सहायक विधि परामर्शी | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 6. | श्री रामप्रकाश शर्मा | अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (लाईन) | आयुक्तालय, पुलिस | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 7. | श्री पंकज कपूर | कार्यकारी प्रबंधक (ओ.पी.) | राज. राज्य पथ परिवहन निगम | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 8. | श्री दीपक शर्मा | अधिशाषी अभियंता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. | सदस्य के प्रतिनिधि |
| अन्य अधिकारी उपस्थित | | | | |
| 9. | श्री ललित शर्मा | निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 10. | श्री उज्वल राठोड | अति. आयुक्त (एल.पी.सी.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 11. | श्री एस.जेड. शाहिद | विशेषाधिकारी (आर.एम.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 12. | श्री एम. एल. चौधरी | अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 13. | श्री देवेन्द्र कुमार जैन | उपायुक्त जोन 10 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 14. | श्री सुरेन्द्र यादव | उपायुक्त जोन 11 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 15. | श्री मधुसूदन पालीवाल | उपायुक्त जोन 14 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 16. | श्री एस. सी. मीणा | अधीक्षण अभियंता (विद्युत) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 17. | श्री जी. एल. शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत-2) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 18. | श्री दीपक माथुर | अधिशाषी अभियन्ता (इनेज-I) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 19. | श्री महेश गोयल | अधिशाषी अभियन्ता (इनेज-II) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 20. | श्री आर.एल. माथुर | अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 21. | श्री वाई. के. शर्मा | सहायक अभियन्ता (विद्युत) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

21
सचिव,

| क. सं. | नाम सदस्य/अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|--------|-------------------|------------------------------|-------|-------|
| 22. | श्री भगवत गुप्ता | सहायक लेखाधिकारी-II (जोन-14) | | |
| 23. | श्रीमती ऊषा जैन | विशेषाधिकारी (पी.आर.) | | |

37
12/3/18

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.219)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी-1498

दिनांक: 15/3/2018

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

| क्र.स. | पद | विभाग का नाम |
|--------|--|--|
| 1 | विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
| 2 | अतिरिक्त मुख्य सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 3 | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 4 | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | रीको, जयपुर। |
| 5 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 6 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 7 | जिला कलक्टर | जिला कलक्ट्रेट, जयपुर। |
| 8 | पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) | पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। |
| 9 | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 10 | मुख्य अभियन्ता | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। |
| 11 | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 12 | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर। |
| 13 | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 14 | निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 15 | निदेशक (नगर आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 16 | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 17 | अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 18 | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19 | उपायुक्त जोन..... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20 | सिस्टम एनालिस्ट | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21 | सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर